

## फार्म - चालीस

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

[30प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम-54(6) देखें]

### ट्रिप शीट

[अलग-अलग गंतव्यों को जाने वाले माल के लिए अलग-अलग ट्रिप शीट दी जाएंगी]

ट्रिप शीट नंबर																				
तिथि																				
वाहन संख्या																				

1.	ट्रान्सपोर्टर, कैरियर या फॉरवर्डिंग एजेंट का नाम व पता																			
2.	फोन नंबर, यदि कोई हो																			
3.	पंजीयन संख्या																			
4.	वाहन स्वामी का नाम व पता																			
5.	फोन नंबर, यदि कोई हो																			
6.	वाहन चालक का नाम व पता																			
7.	ट्राईविंग लाइसेंस नंबर																			
8.	फोन नंबर यदि कोई हो																			

क्र0सं0	जी0	र0 नंबर	पारेषक	परेषिती	स्थान से	स्थान तक	माल का विवरण	वहन/माप/मात्रा	माल का मूल्य	आयात घोषणा संख्या
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10

स्थान-  
तिथि-

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर  
अधिकृत व्यक्ति का नाम, पता व प्रास्थिति

वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर